

बिहार सरकार
विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
कार्यालय आदेश

का०आ०सं०-वि० प्रा० (I) मु० स्था०-17/2025/ /पटना, दिनांक -

समाज कल्याण विभाग, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, बिहार, पटना के पत्रांक-403 दिनांक-19.03.2025 के आलोक में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा-23 (i) में निहित प्रावधानुसार श्रीमती मोनिका ठाकुर, विशेष कार्य पदाधिकारी, विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार, पटना (मोबाईल सं०-9693228583) को विभागीय शिकायत प्रतितोष अधिकारी नामित किया जाता है।

02. प्रस्ताव में सचिव, विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

अपर सचिव-सह-निदेशक,
विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग,
बिहार, पटना

ज्ञापांक - वि० प्रा० (I) मु० स्था०-17/2025/ /पटना, दिनांक -

प्रतिलिपि - निदेशक, समाज कल्याण विभाग, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

अपर सचिव-सह-निदेशक,
विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग,
बिहार, पटना

ज्ञापांक - वि० प्रा० (I) मु० स्था०-17/2025/ 2303 /पटना, दिनांक - 13.05.25

प्रतिलिपि - सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक के निजी सहायक/श्रीमती मोनिका ठाकुर, विशेष कार्य पदाधिकारी, /सभी पदाधिकारी/सभी प्रशाखा पदाधिकारी/सभी सहायक प्रशाखा पदाधिकारी एवं लिपिक/श्री संजय कुमार, आई० टी० मैनेजर (विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने हेतु), विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित

अपर सचिव-सह-निदेशक,
विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग,
बिहार, पटना